उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19–सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001
दूरभाष / फैक्स : 0522–2235752, 0522–2235806

## सूचना / विज्ञप्ति

**यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनायें बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।**

संख्याः पीआरपीबी–चार–4(17) / 2015 दिनांकः मार्च 27,2015

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा रैंकर उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर विभागीय लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों (लगभग 3501) के समूह परिसंवाद का आयोजन कराये जाने का प्रस्ताव है। जिसमें प्रतिदिन अलग–अलग 06 पैनल द्वारा 10–10 अभ्यर्थियों के 06 समूहों का पर्यवेक्षण किया जाना है। प्रत्येक समूह को 30 मिनट के समूह परिसंवाद में प्रतिभाग करना होगा। उक्त समूह परिसंवाद हेतु निम्नलिखित कार्यो हेतु अनुभवी फर्मो से कोटेशन आमंत्रित किया जाना है। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया दिनांक 15–04–2015 से प्रारम्भ होगी :–

1– प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके रोल नम्बर के सापेक्ष एक कोड नम्बर प्रदान करना।
2– प्रदत्त कोड नम्बर के आधार पर समूह परिसंवाद में डिस्प्ले के प्लेकार्ड बनाना।
3– प्रत्येक ग्रुप के लिये कोड के अनुसार स्कोर सीट तैयार करना।
4– समूह परिसंवाद पैनल के सदस्य अलग–अलग सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेंगे। प्रत्येक पैनल में 04 सदस्य होंगे जो अलग–अलग अंक प्रदान करेंगे।
5– अभ्यर्थियों को समूह परिसंवाद शुरू होने से ठीक पहले उनके लिये आवंटित कोड बताये जायेंगे।
6– प्रत्येक समूह परिसंवाद पैनल को अलग कोड प्रदान किया जायेगा और प्रत्येक की वीडियो रिकार्डिग की जायेगी। वीडियो रिकार्डिग सीडी / डीवीडी में कर सीडी / डीवीडी पर परमानेण्ट मार्कर से सम्बन्धित समूह परिसंवाद का कोड, दिनांक तथा समूह परिसंवाद के प्रारम्भ एवं समाप्त होने के समय को अंकित किया जायेगा।
7– प्रत्येक समूह परिसंवाद की समाप्ति पर समूह परिसंवाद के चेयरमैन की उपस्थिति में सीडी / डीवीडी को सील करके समूह परिसंवाद की समाप्ति पर तिथिवार इन्डेक्सिंग के साथ सीडी / डीवीडी बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।
8– प्रत्येक दिन की जाने वाली रिकार्डिंग का एक्सटर्नल हार्डड्राइव में बैकअप तैयार किया जायेगा।
9– एजेन्सी द्वारा अनुपस्थित अभ्यर्थियों का मिलान उपस्थिति पंजिका से करके यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि जो अभ्यर्थी अनुपस्थित है उनकी अंक तालिका में अनुपस्थित अंकित किया गया है और अनुपस्थित अभ्यर्थियों की एक सूची अलग से बोर्ड को प्रदान की जायेगी।
10– स्कोर सीट को कोड के अनुसार स्कैन करके डाटा बेस तैयार करना।
11– पैनल के सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों का योग निकालकर अभ्यर्थी को प्राप्तांक प्रदान करना।
12– समूह परिसंवाद समाप्त होने पर पैनल द्वारा प्रदत्त अंको को डीकोड करते हुये अन्तिम परिणाम तैयार करना।
13– समूह परिसंवाद की समाप्ति पर भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का एक समेकित परीक्षा परिणाम तैयार करना एवं बोर्ड की आवश्कता के अनुरूप आख्यायें तैयार करना।

कृपया उक्त कार्यो हेतु इच्छुक फर्मे अपने पूर्व के अनुभव का उल्लेख करते हुये अपने कोटेशन "अपर सचिव, प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ" के

नाम/पदनाम से निम्न प्रारूप पर दिनांक 31–03–2015 तक बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

| क्र0सं0 | कार्य का विवरण |
|---|---|
| 1 | (क)–अभ्यर्थियों को कोड प्रदान करना।<br>(ख)–उपस्थिति पंजी बनाना।<br>(ग)–प्ले कार्ड बनाना।<br>(घ)–पैनल हेतु अंक तालिका।<br>(ड.)–अन्तिम परिणाम तैयार कर सीडी/डीवीडी में साफ्टकापी में एक हार्डकापी में दोनों में प्रदान करना। |

**नोट :–**

1– कृपया उपरोक्त तालिका में कम्पनी द्वारा किये जाने वाले कार्यो की दर तथा टैक्स की दरें अलग–अलग प्रदर्शित करें।

2– उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उपरोक्त कार्य किसी एक फर्म को या अलग–अलग फर्मो को उनके द्वारा प्रदत्त कोटेशनों के आधार पर अथवा अपने संसाधनों से करा सकता है।

3– कोटेशनकर्ता फर्मे कोटेशन के साथ निम्नलिखित अभिलेख अवश्य प्रदान करें :–

(क)– फर्म द्वारा उपरोक्त कार्य विवरण के पूर्व अनुभव का विवरण।

(ख)– फर्म द्वारा उपरोक्त कार्य किस प्रकार सम्पादित किया जायेगा एवं समूह परिसंवाद के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले प्रोफार्मा का विवरण।

(ग)– यदि कोटेशनकर्ता फर्म द्वारा प्रस्तावित है कि पैनल ओ0एम0आर0 सीट पर मूल्यांकन कर नम्बर प्रदान करे जिसे स्कैन कर नम्बर का आगणन किया जायेगा तो तत्सम्बन्धी कोटेशन और यदि नम्बरों का आगणन मैनुअली किया जायेगा तो फर्म के क्या कोटशन होंगे अलग–अलग प्रदान करें, जिससे विभिन्न फर्मो द्वारा प्रदत्त कार्य एवं दरों की तुलना की जा सके। यदि फर्म नम्बरों का देना किसी अन्य इलेक्ट्रानिक विधि से प्रस्तावित करती है तो उसका ब्यौरा तथा दर भी अलग से प्रदान करें।

(घ)– बोर्ड द्वारा पारदर्शिता तथा निष्पक्षता पर विशेष जोर दिया जा सकता है। अतः जो फर्म ऐसी विधि/प्रक्रिया प्रस्तावित करेगी जिससे ज्यादा पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बनाई जा सके। ऐसे वेण्डरों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ड.)– सभी फर्मे अपने कोटेशन के साथ रू0 30,000/– का क्रास चेक अपर सचिव, प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के नाम से सिक्योरिटी मनी के तौर पर प्रदान करेगी। कोटेशन के आधार पर जिस फर्म को कार्य प्रदान किया जायेगा उसके अतिरिक्त अन्य फर्मो की सिक्योरिटी मनी बोर्ड द्वारा वापस कर दी जायेगी एवं कार्य करने वाली फर्म को कार्य के सम्पादन के उपरान्त सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जायेगी।

(च)– बोर्ड द्वारा जिस भी फर्म को कार्य प्रदान किया जायेगा वह कार्य के सम्पादन में पूर्ण गोपनीयता बनाकर रखेगी। फर्म द्वारा गोपनीयता बनाने या समूह परिसंवाद की प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

**अपर सचिव, प्रोन्नति**
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।